

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़

रघुबंश वर्मा बनाम जयसिंह वर्मा

श्री 0 पत्र 212 RTA उकण सं 2/43/2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम  
जा


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

13-09-22 वकील जर्मी उपस्थित। यह श्री 0 पत्र 212

RTA वकील जर्मी ने मूल वाद के साथ प्रेश किया।  
उक्त श्री 0 पत्र सेलगत पत्राई व जर्मी के शपथ पत्र  
का अवलोकन किया गया। जर्मी ने अजर्मीगढ़ के अन्तर्गत  
अस्पार्स निवेदाना से पाबन्द काले व निवेदन किया।  
वकील जर्मी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया के ल व सुविधा  
का सौलन एवं अजर्मीगढ़ शक्ति जर्मी के फस में होना  
उचित होता है।

अतः अजर्मीगढ़ को जर्मी अन्तर्गत अस्पार्स  
निवेदाना आगामी तारीख जर्मी एक पाबन्द किया  
जाता है कि वो श्री 0 नं० 366/1, 162, 193, 203,  
204/1, 219, 22/1, वके ग्राम गन्दीका तहसील  
गोविन्दगढ़ की जर्मीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिकार्ड एवं  
मौकी की प्रयासिपारि बनाए रहें। रतन कर्ण गली करे।

अजर्मीगढ़ के नोटिस डेकि उक्त आदेश की  
पालना में कोई उज्र लेते दिनांक 17.10.22 को प्रेश  
करे कि क्ले ना उक्त आदेश को दावा के निर्दिष्ट  
तक स्पार्स कर दिया जावे। अजर्मीगढ़ जर्मी नोटिस  
तलब हो। पत्रावली वाले तलबी अजर्मी दिनांक  
17/10/2022 को प्रेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अखबर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

11.1.24

पत्रावली पत्र P.O. साहब V.P.S.Y

मे पत्र

पत्रावली दिनांक 09.2.24

रख  
रीडर

09.2.24

पत्रावली दिनांक 09.2.24

साप्ताहिक आदेश दिनांक 09.2.24 को पेश हो।

की पालना में पत्रावली वास्तु में इंतजार शामिल 18 पोर्ट

दिनांक 27.2.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

27.2.2024

पत्रावली तस्तूर हुई। वकील साहबी उपखण्ड

वकील साहबी ने शर्षना पत्र-212 R.A. NOT PRESS

फट खारिज करने का निवेदन किया है। अतः शर्षना

पत्र-212 R.A. वकील साहबी के NOT PRESS में

खारिज किया जाता है। जावकी में माल शूमार लेकर

लखर से क्रम हो। बाद शामिल तस्तूर शामिल शामिल

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) रज

Note Press  
A